JALAUN POLICE

दिनांक –21.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियो को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में 06 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादिया श्रीमती राजो उर्फ राजराती पत्नी रामप्रकाश निवासी मु0 रामचबूतरा नई बस्ती थाना कालपी के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने व जान से मारने की धमकी के संबन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर कोत0 कालपी में मु0अ0सं0 183/2014 (वाद संख्या 05 व 5बी/2017) धारा 147/148/323/504/506/452 भादवि व 3(1)x एससी एसटी एक्ट बनाम 1 नाजरा पत्नी इरसाद 2- दिलशाद पुत्र रमजान खान 3-नौशाद पुत्र इरसाद 4- शहबाज पुत्र इरसाद 5- इरसाद पुत्र मुस्तीक निवासीगण राजेपुरा थाना कालपी जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.12.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पे0 एससी एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा सभी अभियुक्तगण दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष कारावास एवं 19,000-19,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- दिनांक 09.07.2013 को कोतवाली उरई पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त दीपक अहिरवार को एक अदद चोरी की मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से एक अदद चाकू बरामद हुआ था तथा जांच मे वाहन के जाली प्रपत्र बनवाकर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई पायी गयी थी जिसके संबन्ध उ0नि0 संतोष कुमार गिरि थाना कोतवाली उरई की तहरीर के आधार पर कोत0 उरई में मु0अ0सं0 1604, 1605/2013 धारा 403/411/413/414/420/467/468 भादवि एवं 25 आर्म्स बनाम दीपक अहिरवार पुत्र पहलवान सिंह निवासी ग्राम कुसमिलिया थाना डकोर जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.12.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा सभी अभियुक्त दीपक उपरोक्त दोषी पाते हुए 07 वर्ष कारावास एवं 45,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।